

उत्तर रेलवे
NORTHERN RAILWAY

प्रधान कार्यालय,
बड़ौदा हाउस,
नई दिल्ली।

मु0क्र0सं0 13500/47

पं.सं. 831-ई/6 सी.पी.सी./ Project All. & Compensatory
(Construction/Survey) All./ 08/E-IV

दिनांक 20/11/2008

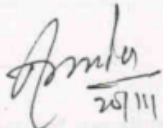
सभी मुख्य विभागाध्यक्ष
समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक
एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- Recommendation of Sixth Central Pay Commission -
Project Allowance and Compensatory (Construction/Survey)
Allowance - Revision of rates.

रेल मंत्रालय के पत्र सं. E(G)2008/AL12-4 दिनांक 14/11/2008
(आर.बी.ई.सं.177/2008) क्र.सं. पी.सी.-VI 47 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही
हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

इसमें उल्लिखित रेल मंत्रालय के पत्र सं. E(G)98/AL12-1 दिनांक
22/09/98 की प्रतिलिपि मु0क्र0सं0 11466/97/PC-V/75 दिनांक 15/10/98 के अर्न्तगत
भेजी जा चुकी हैं।

संलग्न/यथोक्त


20/11/2008
(Trilok Choudhary)
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र. का. बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
2. महासचिव; एनआरएमयू, 12 चेम्सफोर्ड रोड, नयी दिल्ली
3. महासचिव; अ0भा0अ0जा0/अ0ज0जा0 रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कालोनी
लाजपतनगर, नई दिल्ली-24
4. महासचिव; अ0भा0अ0पि0ब0 रेल कर्मचारी संगठन 171/ए, 3 बसंत लेन नई दिल्ली।

2
HRPS No. 13500/47

S.No.P.C.VI. 47
RBE No. 177/08

Government of India/भारत सरकार
Ministry of Railways/रेल मंत्रालय
Railway Board/रेलवे बोर्ड

रेल भवन, नई दिल्ली 110001, तिथि 14/11/08
Rail Bhawan, New Delhi-110001, dated.

No.E(G)2008/AL12-4

The General Manager/CAO(R),
All Indian Railways & PUs
(As per mailing list).

Sub: Recommendations of Sixth Central Pay Commission – Project Allowance and Compensatory (Construction/Survey) Allowance – Revision of rates.

Consequent upon the decision taken by the Government on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission circulated vide Ministry of Finance (Deptt. of Expenditure) O.M. No. 6(3)/2008-E.II.B dated 29.8.08, the rates of Project Allowance have been revised w.e.f. September 1, 2008.

2. Ministry of Railways have considered the question of revision of rates of Project Allowance and Compensatory (Construction/Survey) Allowance notified vide Board's letter No. E(G)98/AL12-1 dated 22.9.98 (Corresponding to MOF's O.M. No. 6(6)/97/E.II(B) dated 1.4.1998) and it has been decided with the sanction of the President that the rates of Project Allowance and Compensatory (Construction/Survey) Allowance shall be revised as follows:

(a) **Project Allowance**

Grade Pay	Rate per month (Rs)
For posts in the grade pay of Rs.5400/- and above and pay scale of HAG + and above.	1500
For posts in the grade pay of less than Rs.5400/-	1000

The Railway employees whose offices are in the project area, but not specifically for the work of the project, and the projects are covered by the Ministry of Finance's O.M. No.20011/5/73-E.IV(B) dated 17.1.1975 on Project Allowance circulated under Board's letter No.E(G)73 AL12-27 dated 27.11.78 and No. PC-IV/86/Imp/AL-15 dated 14.10.86 shall, however, be entitled to Project Allowance only at 50% of the above rates.

(b) **Compensatory (Construction/Survey) Allowance**

Grade Pay	Rate per month (Rs)
For posts in the grade pay of Rs.5400/- and above and pay scale of HAG + and above.	1500
For posts in the grade pay of less than Rs.5400/-	1000

..2..

3
2

3. CONDITIONS

- (i) In the case of those employees who opt to retain the pre-revised scale of pay, corresponding Grade pay of the pay scale/corresponding pay scale of the post occupied on 1.1.2006, as indicated in Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 would determine the allowance under these orders.
- (ii) These orders will take effect from September 1, 2008.
- (iii) The rates of these allowance shall automatically increase by 25%, whenever the Dearness Allowance payable on the revised pay structure goes up by 50%.
- (iv) All others terms and conditions governing the grant of these allowance shall remain unchanged.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Suvomoy Pal
(Suvomoy Pal)
Deputy Director Estt. (Genl.)

No.E(G)2008/AL12-4

New Delhi, Dated 14.11.08

Copy to :

- i) The FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units etc.
- ii) The Chief Commissioner of Railway Safety, 16 Ashok Road, Lucknow.

Suvomoy Pal
(Suvomoy Pal)
Deputy Director Estt. (Genl.)

No.E(G)2008/AL12-4

New Delhi, Dated 14.11.08

Copy to:

- i) Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi. (with 40 spares).

K. Pal
FOR FINANCIAL COMMISSIONER/RAILWAYS

क्रम सं. पी.सी. VI-47
आरबीई सं.-177/08

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (जी) 2008/एएल12-4

रेल भवन, नई दिल्ली 110 001, दिनांक 14.11.2008

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)।

**विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें-परियोजना भत्ता तथा प्रतिपूरक
(निर्माण/सर्वेक्षण) भत्ता-दरों में संशोधन।**

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के 29.08.2008 के का.ज्ञा. सं. 6(3)/2008/ई-II बी के तहत परिपत्रित छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के परिणामस्वरूप परियोजना भत्ते की दरों को सितम्बर 1, 2008 से संशोधित किया गया है।

2. बोर्ड के 22.09.1998 के पत्र सं. ई(जी)98/एएल12-1 (वित्त मंत्रालय के 01.04.1998 के का.ज्ञा. सं. 6(6)/97/ई-II बी के तदनुसूची) के तहत अधिसूचित परियोजना भत्ते और प्रतिपूरक (निर्माण/सर्वेक्षण) भत्ते की दरों में संशोधन के प्रश्न पर रेल मंत्रालय ने विचार किया है और राष्ट्रपति जी की स्वीकृति से यह विनिश्चय किया गया है कि परियोजना भत्ते और प्रतिपूरक (निर्माण/सर्वेक्षण) भत्ते की दरों में नीचे दिए गए अनुसार संशोधन किया जाएगा:-

(क) परियोजना भत्ता

ग्रेड वेतन	प्रतिमाह दर (रुपए)
5400/- रुपए और अधिक के ग्रेड वेतन तथा एचएजी और ऊपर के वेतनमान में पदों के लिए	1500
5400/- रुपए से कम के ग्रेड वेतन में पदों के लिए	1000

बहरहाल, वे रेल कर्मचारी, जिनके कार्यालय परियोजना क्षेत्र में हैं, लेकिन विशिष्ट रूप से परियोजना के कार्य के लिए नहीं हैं और ये परियोजनाएं बोर्ड के 27.11.1978 के पत्र सं. ई(जी)73, एएल 12-27 और 14.10.1986 के पत्र सं. पीसी-IV/86/इंप./एएल-15 के तहत परिपत्रित परियोजना भत्ते पर वित्त मंत्रालय के 17.01.1975 के का.ज्ञा. सं. 20011/5/73-ई-IV(बी) के अंतर्गत आती हैं, उपर्युक्त दरों के केवल 50% पर परियोजना भत्ते के पात्र होंगे।

...2..

..2..

(ख) प्रतिपूरक (निर्माण/सर्वेक्षण) भत्ता

ग्रेड वेतन	प्रतिमाह दर (रुपए)
5400/- रुपए और अधिक के ग्रेड वेतन तथा एचएजी और ऊपर के वेतनमान में पदों के लिए	1500
5400/- रुपए से कम के ग्रेड वेतन में पदों के लिए	1000

(3) शर्तें

- वे कर्मचारी जो वेतन के पूर्व-संशोधित वेतनमान को बनाए रखने का विकल्प देते हैं, के मामले में इन आदेशों के अंतर्गत रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 में यथोल्लिखित 01.01.2006 को धारित पद के वेतनमान का तदनुरूपी ग्रेड वेतन/तदनुरूपी वेतनमान भत्ते का निर्धारण करेगा।
- ये आदेश सितंबर 1, 2008 से प्रभावी होंगे।
- जहां भी संशोधित वेतन ढांचे पर देय महंगाई भत्ता 50% से बढ़ता है, इन भत्तों की दरें स्वतः ही 25% से बढ़ जाएंगी।
- इस भत्ते को प्रदान करने हेतु शासित करने वाले अन्य सभी निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

सुभोमोय पाल
(सुभोमोय पाल)
उप निदेशक स्था.(सा.)

सं. ई (जी) 2008/एएल12-4

नई दिल्ली, दिनांक 14.11.2008

प्रतिलिपि :

- विस एवं मुलेधि, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि।
- मुख्य आयुक्त, रेल संरक्षा, 16, अशोक रोड, लखनऊ

सुभोमोय पाल
(सुभोमोय पाल)
उप निदेशक स्था.(सा.)